

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी--श्री महेन्द्र लोढा

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 39/17

तारीख रजू- 14/07/2017

सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर (लैण्ड होल्डर)

---प्रार्थी

बनाम

- 1- श्रीमती रामकन्या पत्नि रामजीलाल गुर्जर निवासी सुनारी तह0 सवाई माधोपुर।
- 2- शाखा प्रबंधक एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा सवाई माधोपुर।
- 3- सुरजान सिंह पुत्र धन्ना गुर्जर निवासी सुनारी तह0 सवाई माधोपुर।
- 4- शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा सवाई माधोपुर।
- 5- छोटूलाल पुत्र धन्ना गुर्जर निवासी सुनारी तह0 सवाई माधोपुर।
- 6- शाखा प्रबंधक आई0डी0बी0आई0 बैंक जिला स0मा0।

---अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक-21.6.18

प्रार्थी ने यह प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सेटलमेन्ट खतौनी/जमाबन्दी ग्राम सुनारी सम्वत् 2009 से 2023 के खाता संख्या 296 खसरा नम्बर 335 (डोली) रकबा 6 बीधा 19 बिस्वा माफी मंदिर भैरोंजी वाके सुनारी पुजारी श्रीराम वल्द भैरो कोम गुर्जर सा0 देह माफी के नाम अंकित हैं। उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने से बिना नामान्तरण के खोले ही जमाबन्दी ग्राम सुनारी सन्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 286 रकबा 0.88 है0, 436 रकबा 0.89 है0, 99 रकबा 0.03 है0, 1022/1633 रकबा 0.01 है0, 1020 रकबा 0.07 है0, 1022 रकबा 0.79 है0, 1706/1020 रकबा 0.89 है0 का अंकन माफी मन्दिर भैरोंजी वाके सुनारी पुजारी श्रीराम वल्द भैरो कोम गुर्जर सा0 देह माफी का नाम हटाकर श्रीमती रामकन्या पत्नि रामजीलाल गुर्जर, सुरजान सिंह पुत्र धन्ना, छोटूलाल पुत्र धन्ना गुर्जर, छीतर पुत्र चैन्या गुर्जर के नाम अंकित कर दिये गये हैं। जो विधि विपरीत है। यह है कि खसरा नम्बर 335 रकबा 6 बीधा 19 बिस्वा का मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2057 से 2077 नवीन खसरा नम्बर 1022/1633 रकबा 0.01 है0, 1020 रकबा 0.07 है0, 1022 रकबा 0.79 है0, 1706/1020 रकबा 0.89 है0 किता 4 रकबा 1.76 है0 अंकित हो गये हैं। राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या : एफ/जी/ग/स/क 168 दिनांक 12.06.1969 व 13.11.1969 तथा 14.12.1975 एवम् 8757-82 दिनांक 18.10.1979 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जिन मन्दिर व धार्मिक स्थानों की भूमियों को अवैध स्थानान्तरण मूर्तियों के स्थान पर पूजारियों/सेवारतों या अन्य के नाम कर दिया है तो उन समस्त मामलों में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 82 के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में पूर्व में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बर 335 रकबा 6 बीधा 19 बिस्वा का मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2057 से 2077 नवीन खसरा नम्बर 1022/1633 रकबा 0.01 है0, 1020 रकबा 0.07 है0, 1022 रकबा 0.79 है0, 1706/1020 रकबा 0.89 है0 किता 4 रकबा 1.76 है0 के खातेदारान एवम् उसके पश्चात् विरासत विक्रय के नामान्तरण एवम् राजस्व रिकार्ड में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

अंकित सीमा के इन्द्राजात को निरस्त करवाकर भूमि मूर्तियों के नाम जमाबन्दी में अंकन करवाने का आदेश प्रदान करें।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का वर्णन करते हुए बहस में तर्क दिया कि सेटलमेन्ट खतौनी/जमाबन्दी ग्राम सुनारी सम्वत् 2009 से 2023 के खाता संख्या 296 खसरा नम्बर 335 (डोली) रकबा 6 बीधा 19 बिस्वा माफी मंदिर भैरोंजी वाके सुनारी पुजारी श्रीराम वल्द भैरो कोम गुर्जर सा० देह माफी के नाम अंकित हैं। उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने से बिना नामान्तरण के खोले ही जमाबन्दी ग्राम सुनारी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 286 रकबा 0.88 है०, 436 रकबा 0.89 है०, 99 रकबा 0.03 है०, 1022/1633 रकबा 0.01 है०, 1020 रकबा 0.07 है०, 1022 रकबा 0.79 है०, 1706/1020 रकबा 0.89 है० का अंकन माफी मन्दिर भैरोंजी वाके सुनारी पुजारी श्रीराम वल्द भैरो कोम गुर्जर सा० देह माफी का नाम हटाकर श्रीमती रामकन्या पत्नि रामजीलाल गुर्जर, सुरजान सिंह पुत्र धन्ना, छोटूलाल पुत्र धन्ना गुर्जर, छीतर पुत्र चैन्या गुर्जर के नाम अंकित कर दिये गये हैं। जो विधि विपरीत है। खसरा नम्बर 335 रकबा 6 बीधा 19 बिस्वा का मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2057 से 2077 नवीन खसरा नम्बर , 1022/1633 रकबा 0.01 है०, 1020 रकबा 0.07 है०, 1022 रकबा 0.79 है०, 1706/1020 रकबा 0.89 है० किता 4 रकबा 1.76 है० अंकित हो गये हैं। राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या : एफ/जी/ग/स/क 168 दिनांक 12.06.1969 व 13.11.1969 तथा 14.12.1975 एवम् 8757-82 दिनांक 18.10.1979 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जिन मन्दिर व धार्मिक स्थानों की भूमियों को अवैध स्थानान्तरण मूर्तियों के स्थान पर पूजारियों/सेवारतों या अन्य के नाम कर दिया है तो उन समस्त मामलों में राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 82 के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बर 335 रकबा 6 बीधा 19 बिस्वा का मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2057 से 2077 नवीन खसरा नम्बर , 1022/1633 रकबा 0.01 है०, 1020 रकबा 0.07 है०, 1022 रकबा 0.79 है०, 1706/1020 रकबा 0.89 है० किता 4 रकबा 1.76 है० के खातेदारान एवम् उसके पश्चात् विरासत विक्रय के नामान्तरण एवम् राजस्व रिकार्ड में अंकित सीमा के इन्द्राजात को निरस्त करवाकर भूमि मन्दिर मूर्तियों के नाम दर्ज करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित करने का श्रम करे।

अप्रार्थीगण के वकील ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत करते समय अथवा उसके पश्चात् प्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा माफी रिज्यूम व खतौनी बन्दोबस्त से पूर्व का रिकार्ड संलग्न नहीं किया गया है, जिससे वास्तविक स्थिती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके, साथ ही प्रार्थी द्वारा उक्त जमीन अप्रार्थी के अलावा छीतर पुत्र चैन्या गुर्जर के नाम दर्ज होना बताया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय किया गया है तथा उक्त वाद आराजीयात माफी मन्दिर की है या व्यक्तिगत है। उक्त विश्लेषण कर ही उक्त रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जाना उचित होगा। उक्त रेफरेन्स में तहसीलदार द्वारा छीतर पुत्र चैन्या गुर्जर को प्रार्थना

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जो अहम पक्षकार है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने, मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 2 में उक्त वाद आराजीयात का अंकन माफी मन्दिर भैरोंजी वाके सुनारी पुजारी श्रीराम वल्द भैरो कोम गुर्जर सा० देह माफी का नाम हटाकर श्रीमती रामकन्या पत्नि रामजीलाल गुर्जर, सुरज्ञान सिंह पुत्र धन्ना, छोटूलाल पुत्र धन्ना गुर्जर, छीतर पुत्र चैन्या गुर्जर के नाम अंकित होना बताया है। लेकिन तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में छीतर पुत्र चैन्या गुर्जर को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो एक अहम पक्षकार है, साथ ही प्रार्थी द्वारा माफी रिज्यूम व खतौनी बन्दोबस्त से पूर्व का रिकोर्ड संलग्न नहीं किया गया है, जिससे उक्त वाद आराजीयात के संबंध में वास्तविक स्थिती न्यायालय हाजा के समक्ष आ सके। ऐसी स्थिती में रेफरेन्स अपूर्ण होना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेफरेन्स तहसीलदार सवाई माधोपुर को पुनः लोटाया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि समस्त आवश्यक व्यक्तियों को पक्षकार बनाते हुए एवं उक्त वाद आराजीयात के संबंध में माफी रिज्यूम व खतौनी बन्दोबस्त से पूर्व का रिकोर्ड एकत्रित कर सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख व दस्तावेजों के साथ नवीन सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 21.6.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( महेन्द्र लोडा )  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाई माधोपुर